



**कर्मचारी राज्य बीमा निगम**  
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)  
**EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION**  
(Ministry of Labour & Employment, Govt. of India)



**निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली /**  
**DIRECTORATE (MEDICAL) DELHI**  
5<sup>th</sup> व 6<sup>th</sup> तल, प्रशासन खंड, क. रा. बी. निगम  
अस्पताल परिसर, बसैदारपुर नई दिल्ली-110015  
5th & 6th Floor, Administrative Block, ESIC  
Hospital Complex, Basaidarapur, New Delhi-110015  
Email: [dir-dmd.dl@esic.nic.in](mailto:dir-dmd.dl@esic.nic.in)

एफ.नं.111/एफ/24/13/4/2018/इनकमटैक्स/कैशब्रांच(एम)

दिनांक: 22-01-2025

## परिपत्र

**विषय:-** वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था के तहत निवेश / बचत का प्रमाण जमा करने के संबंध में।

कृपया उपरोक्त विषय पर इस कार्यालय के परिपत्र दिनांक 13.01.2025 का संदर्भ लें। निदेशालय (चिकित्सा) दिल्ली और औषधालयों के सभी कर्मचारियों / पेंशनभोगियों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पुरानी कर व्यवस्था का विकल्प चुना है, उन सभी को सलाह दी जाती है कि वे अपने निवेश / बचत का प्रमाण (02 प्रतियां) 31 जनवरी 2025 को या उससे पहले रोकड़ शाखा I, II और पेंशन सेल (चि0) में जमा कराएं। उक्त तिथि के बाद प्राप्त दस्तावेज को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

अतः निवेश का प्रमाण न मिलने की स्थिति में यह मान लिया जाएगा कि विभिन्न धाराओं के तहत कोई बचत नहीं हुई है और नई कर व्यवस्था के आधार पर आयकर काट लिया जाएगा।

(श्री अनिल कत्याल)

सहायक निदेशक (रोकड़)

प्रतिलिपि:

1. ओएसडी, आईटी सेल को डीएमडी वेबसाइट पर परिपत्र अपलोड करने के अनुरोध के साथ।
2. नोटिस बोर्ड